राज्य स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन विजिट आख्या
चित्रकूट मंडल जनपद– चित्रकूट, बांदा, महोबा एवं हमीरपुर
भ्रमण अवधि– 24जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024

राज्य स्तरीय टीम
1. श्री विवेक कुमार द्विवेदी, महाप्रबंधक आयुष।
2. श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य।
3. श्री विकास कुँवर (ऑफिसर आडिट)।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयाँ
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – राजापुर, ब्लाक रामनगर जनपद चित्रकूट ।
2. आयुष्मान आरोग्य मंदिर – जमालपुर, ब्लाक बडोखर खुर्द जनपद बांदा ।
3. आयुष्मान आरोग्य मंदिर – पचपहरा, ब्लाक कबराई जनपद महोबा ।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राज्य स्तरीय टीम सदस्य विवेक कुमार द्विवेदी, महाप्रबंधक आयुष , प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य एवं विकास कुँवर (ऑफिसर आडिट) द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 के मध्य चित्रकूट मंडल के जनपद– चित्रकूट, बांदा, महोबा एवं हमीरपुर का भ्रमण कर एफ0आर0यू0 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया साथ ही कार्यकमो की वित्तीय एवं भौतिक समीक्षा भी किया गया । भ्रमण के दौरान मण्डलीय अपर निदेषक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मंडल की अध्यक्षता में मण्डलीय बैठक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ब्लाक लेखा प्रबंधक, ब्लाक कार्यकम प्रबंधक, ब्लाक सामुदायिक कार्यकम प्रबंधक, जिला कार्यकम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य के साथ वित्तिय एवं भौतिक समीक्षा/डिब्रीफिगं किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है–

Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections) As per format 18

DISTRICT	Apr to June 2023	Apr to June 2024	Increased/ Decreased
हमीरपुर	3649	2961	-688
महोबा	2647	2345	-302
बांदा	6073	5257	-816
चित्रकूट	3412	3304	-108

Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections) As per HMIS

	Pregnant Women registered for ANC			Institutional Deliveries conducted		
DISTRICT	Apr to June 2023	Apr to June 2024	Decreased	Apr to June 2023	Apr to June 2024	Decreased
Banda	14861	13963	-898	6171	5253	-918
Chitrakoot	6730	7163	433	3412	3306	-106
Hamirpur	7410	6927	-483	3501	2960	-541
Mahoba	6712	6174	-538	2645	2343	-302

Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections) As per Mantra

DISTRICT	Apr to June 2023	Apr to June 2024	Increased/ Decreased
Banda	6565	5529	-1036
Chitrakoot	3857	3647	-210
Hamirpur	3936	3360	-576
Mahoba	2519	2163	-356

मंडल के फॉरमेट 18,एच0एम0आई0एस0 एवं मंत्र से प्राप्त प्रथम त्रैमास 2024 (अप्रैल से जून2024)तक के रिपोर्ट के ऑकडों के आकलन से स्पष्ट है।

- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में प्रथम त्रैमास 2023 (अप्रैल से जून 2023) के सापेक्ष इस वर्ष प्रथम त्रैमास 2024 (अप्रैल से जून 2024) संस्थागत प्रसव में घटोत्तरी हुई है ।

Scanned with ACE Scanner

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – राजापुर, ब्लाक रामनगर जनपद चित्रकूट

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदा
चिकित्सालय परिसरः–		
लेवर रुम एवं भर्ती मरीजों के लिए शौचालय भी गन्दा एवं शौचालय अक्रियाशील हालत में पाया गया। लेवर रुम में शौचालय पूर्णतःअक्रियाशील हालत में पाया गया	उपलब्ध संसाधनों में आवश्यक व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा
इकाई की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई को मेंण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधि
आई0ई0सी0ः–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 पुरानी व आवश्यकतानुसार प्रदिशत नही थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिका
परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग नही है।	विभिन्न योजनाओं के अपडेटेड प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नही था। प्रकाश की उचित व्यवस्था नही था।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार ब्यवस्थायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसव के दौरान इस्तेमाल औजारों को ऑटोक्लेव नही किया जा रहा है।	ऑटोक्लेव ब्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर एवं ए0एन0सी0 रजिस्टर रेफरल रजिस्टर, भरा नही जा रहा था। आर0सी0एच0नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
गर्भवती महिलाओं के पास मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0कार्ड)था। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुराना फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो कॉपी में लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नही है। छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नही दिया जा रहा है। केसशीट उपलब्ध था। दिशा–निर्देश के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत मानकानुसार डाइट रजिस्टर का रख रखाव नही किया जा रहा है।	मानकानुसार रिकार्ड भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेडेड है, परन्तु 12 बेड ही संचालन योग्य है। मौजूदा एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 तक 251 प्रसव के सापेक्ष 78 (31%)	सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ

Scanned with ACE Scanner

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
...ाओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई ...तु प्रसव पंजिका एवं डिस्चार्ज स्लीप एवं केसषीट ... जॉच में पाया गया प्रसव भार के अनुसार 3 से 5 ...टे ही प्रसुतों को रोका जा पा रहा है।		
...ल स्वास्थ्यः–		
...का **करण** कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी ...दर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रीज कार्य करते हुए ...ाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्षित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
परिवार नियोजन–		
कण्डोम बाक्स नहीं लगा था।	कण्डोम बाक्स लगाने व प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रयोगशाला–		
प्रयोगशाला में साफ–सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स फालो किये जा रहे थे।	सम्बन्धित को साफ–सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स नियमित रुप से फालो करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
औषधि, ड्रग स्टोर एवं ई0डी0एल0		
वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि फार्मासिस्ट ई0डी0एल0 से अनभिज्ञ है।	समस्त फार्मासिस्ट को ई0डी0एल0 उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	ए0सी0एम0ओं0 स्टोर व चीफ फार्मासिस्ट
ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नही किया गया था। सीटीजन चार्टर पुराना लगा हुआ था।	अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
वेयरहाउस में औषधियों की उपलब्धता के बावजूद पासबुक के अनुसार औषधियों को प्राप्त नही किया जा रहा है एवं वितरण नहीं किया जा रहा है	फार्मासिस्ट को वेयरहाउस में औषधियों को इशयू एवं वितरण कराने कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित फार्मासिस्ट

निम्न महत्वपूर्ण समस्या / तथ्य है, जिन्के कारण कार्यक्रमों के संचालन प्रभावित हो रहा है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद का औषधियों वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नही किया जा रहा है।
- नये मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) पूर्ण रुप से भरे जायें। विशेषकर बैंक खाता, आधार संख्या, एम0सी0टी0एस0, मोबाईल नम्बर व ए0एन0सी0 जॉच की प्रविष्टि अवश्य की जाए।
- दिशा–निर्देश के अनुसार मातृ मृत्यु समीक्षा एवं उचित तरीके से रिपोर्टिंग किये जाने का अनुरोध किया गया।
- एच0आर0पी0 इंसेंटिव का ससमय भुगतान आशा एवं ए0एन0एम0 किये जाने का अनुरोध किया गया।
- भ्रमण के दौरन पायी गयी जनपद की यथास्थिति से मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया एवं कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों एवं प्रसव कक्ष को मानकानुसार तैयार किये जाने एवं समस्त आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।
- जे0एस0वाई0 की उपलब्धि में गिरावट के कारणों को चिन्हित कर उपलब्धि बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।
- वी.एच.एन.डी. सत्र एवं स्वास्थ्य इकाईयों में जी.डी.एम.एवं एच.आई वी. व सिफलिस की जॉच के प्रति उदाशीनता एवं अन्य कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।

Scanned with ACE Scanner

- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे0एस0वाई0 भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय जे0एस0वाई0 भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये। सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' के लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए जनपद एवं ब्लाक स्तर पर ठोस कार्यनिती बनाने का अनुरोध किया गया।
- 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' के सफल संचालन हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।
    - किसी भी स्वास्थ्य इकाई में ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत निःशुल्क प्रदान की जानी वाली सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए वाल राइटिंग नही किया गया है एवं हैंडबिल न तो छपवाया गया है न ही वितरित किया गया है।
    - ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत ,जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक तथा चिन्हित जनपद व ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर बैठक भी नही किया गया है।
    - ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में एक मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक बनाया जाना प्रस्तावित है परन्तु जनपद में मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक अभी तक नही बनाया गया है।
    - प्रावाधान के अनुसार''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना चेक–अप कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं को अल्पाहार उपलब्ध नही कराया जा रहा है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर – जमालपुर, ब्लाक बडोखर खुर्द जनपद बांदा ।

अवलोकन बिन्दु	**सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही**	**जिम्मेदारी**
आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसरः–		
मानकानुसार सभी 14 जॉचें नही हो पा रही है	सभी जॉचें कराने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी सी0एच0ओ0

आयुष्मान आरोग्य मंदिर – पचपहरा, ब्लाक कबराई जनपद महोबा ।

अवलोकन बिन्दु	**सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही**	**जिम्मेदारी**
आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसरः–		
मानकानुसार सभी 14 जॉचें नही हो पा रही है	सभी जॉचें कराने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी सी0एच0ओ0

मण्डल स्तरीय वित्तीय समीक्षा– चित्रकूटधाम मण्डल (दिनांक 25.07.2024)

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2024 को आयोजित मण्डल स्तरीय वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्तः–

1. राज्य स्तरीय टीम द्वारा सर्वप्रथम मण्डल की कमिटेड एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के व्यय की जानकारी दी गयीः–

	Committed expected 100%			Current Year			Total		
Name of District	Committed Budget	Committed Expenditure as on 24.07.2024	%	Fund Allocated	Expenditure	%	Fund Allocated	Expenditure	%
Banda	443.11	108.02	24.37	8628.95	1006.73	11.66	9072.06	1114.74	12.28

Scanned with ACE Scanner

Chitrakoot	441.64	68.66	15.54	5580.72	595.58	10.67	6022.35	664.24	11.02
Hamirpur	166.82	23.85	14.29	6185.28	757.63	12.24	6352.09	781.47	12.30
Mahoba	281.04	120.79	42.97	4444.31	474.71	10.68	4725.35	595.5	12.60
Total	**1332.61**	**321.31**	**24.11**	**24,839.25**	**2,834.64**	**11.41**	**26171.86**	**3155.96**	**12.05**

जनपद बांदा, चित्रकूट एवं हमीरपुर में अत्याधिक कमिटेड धनराशि का भुगतान किया जाना शेष हैं, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा अवगत कराया गया कि 31 जुलाई, 2024 तक व्यय करना सुनिष्चित करें अन्यथा की दषा में जिम्मेदार नोडल अधिकारी की होगी।

2. मण्डल के समस्त जनपदों में कमिटेड किये गये धनराषि में 90% से अधिक व्यय, 90 प्रतिशत से कम व्यय एवं शून्य व्यय वाले मदों की निम्न तालिका प्रदर्शित की गयीः–

District	Above 90%			Less Than 90%			Zero Expenditure		
	FMR	Budget	%	FMR	Budget	%	FMR	Budget	%
Banda	21	6.94	**0.75%**	18	327.34	**35.42%**	52	589.87	**63.83%**
Chitrakoot	25	19.02	**3.03%**	26	60.82	**9.68%**	90	548.54	**87.29%**
Hamirpur	11	7.08	**3.34%**	15	47.51	**22.39%**	76	157.64	**74.28%**
Mahoba	19	19.91	**5.80%**	17	195.38	**56.87%**	39	128.27	**37.34%**

3. मण्डल के समस्त जनपदों में शून्य व्यय मदों, 25 प्रतिशत से कम व्यय वाले मदों की निम्न तालिका प्रदर्शित की गयीः–

Districts	Less Than 25%		Zero Expenditure	
	FMR	Budget	FMR	Budget
Banda	184	5737.29	402	2069.98
Citrakoot	147	3881.31	404	1605.57
Hamirpur	141	3940.75	407	2017.88
Mahoba	128	2621.83	409	1527.65

सर्वाधिक धनराषि युक्त शून्य वाले एफ0एम0आर0 होने पर समस्त जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0 तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की टीम को विषेष ध्यान देकर फैम्स पोर्टल पर व्यय बुक कराने हेतु निर्देषित किया गया।

राज्य स्तरीय टीम एवं अपर निदेषक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा देय अन्य निर्देषः–

I. वित्तीय वर्ष 2023–24 मे माह जून तक कुल संस्थागत प्रसव 15781 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 मे माह जून तक 13867 हुये है। मण्डल मे 1914 संस्थागत प्रसव मे गिरावट हुयी है। समस्त जनपदो को डिलिवरी प्वांट वाइज सभी केन्द्रो की समीक्षा करते हुये संस्थागत प्रसव बढाने के निर्देष दिया गया।

II. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अर्न्तगत दिनांक 1,9,16 एवं 24 मे द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास वाली गर्भवती माताओं की अधिक से अधिक ए0एन0सी0 चेकअप कराया जाये तथा राजकीय स्वास्थय इकाई पर अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा उपलब्ध नही है तो इंम्पैनल निजी केन्द्र पर ई रूपी वाउचर के माध्यम से निःषुल्क अल्ट्रासाउन्ड कराने के निर्देष दिये गये। समस्त जनपदो को ई रूपी वाउचर जनरेषन एवं रिडिम्पषन बढानें के निर्देष दिये गये जिससे गर्भवती माताओं को लाभ मिल सके। चिन्हित सभी एच0आर0पी0 की लाइन लिस्टिंग की जाय एवं निंरतर फालो अप किया जाये तथा लाभार्थी को एवं आषा को फालोंअप विजिट की राषि 100 रू प्रति विजिट के अनुसार भुगतान करने के निर्देष दिये गये।

III. वित्तीय समीक्षा के अर्न्तगत कमिटेड की गई धनराषि को व्यय नही किया गया जिसको व्यय करने के निर्देष दिये गये।

Scanned with ACE Scanner

IV. समस्त जनपदो को वर्तमान वित्तीय वर्ष मे अधिक व्यय एफ0एम0आर0 कोड की जानकारी दी गई तथा निर्देष दिया गया कि उक्त एफ0एम0आर0कोड पर यदि फीडिंग गलत है तो उसको सुधार कर लिया जाये।

V. समस्त जिला लेखा प्रबंधक को निर्देषित किया गया कि फैम्स के माध्यम से व्यय किये गये कई भुगतान की बुकिंग फैम्स पोर्टल पर लंबित है, जिसे तत्काल बुक कराया जाना सुनिष्चित करें।

VI. जनपद के समस्त सलाहकार प्रत्येक सप्ताह अपने कार्यक्रमों के व्यय की समीक्षा फैम्स पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार (आवष्यकतानुसार जिला लेखा प्रबंधक से प्राप्त करते हुये) करना सुनिष्चित करें।

VII. जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला डाटा प्रबन्धक, बांदा को 31 जुलाई, 2024 तक कमिटेड किये गये धनराषि के व्यय वाले मदों में नियमानुसार शीघ्र भुगतान कराने हेतु निर्देष दिये गयें।

VIII. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0 तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की टीम सदस्यों को निर्देषित किया गया, कि उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कम व्यय वाले एफ0एम0आर0 कोड की ब्लॉक टीम के साथ समीक्षा करें तथा लम्बित भुगतान कराते हुए शतप्रतिषत भुगतान कराना एवं एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर व्यय बुक कराना सुनिष्चित करें।

IX. राज्य स्तरीय टीम द्वारा शून्य मद वाले व्यय अधिक से अधिक दिनांक 24 से 27 जुलाई, 2024 के मध्य पूर्ण कराने हेतु निर्देषित किया गया।

X. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बांदा में 1044, हमीरपुर में 480 तथा महोबा में 328 लाभार्थियों के भुगतान वर्ष 2023–24 के दौरान एक से अधिक बार हुये है, जिसकी ब्लॉक स्तर पर समीक्षा करते हुये नियमानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है।

जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा–जनपद चित्रकूट (दिनांक 24.07.2024)

दिनांकः–24 जुलाई, 2024 को कार्यालय – मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार, चित्रकूट में डॉ0 भूपेष द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा सम्पन्न हुयी। बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी–आर0सी0एच0 द्वारा राज्य स्तर से टीम के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की। राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद में संचालित सभी कार्यक्रमों की ब्लॉक बार समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत ब्लॉक में जिन मदों में कम व्यय हुआ है अथवा फैम्स पोर्टल पर बुक नही हो पाया है, जिन मदों में अब तक व्यय शून्य है पर जल्द से जल्द कार्य कर पूर्ण करने हेतु निर्देषित किया गया।

जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा–जनपद बाँदा (दिनांक 25.07.2024)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत दिनाँक– 25 जुलाई, 2024 दोपहर 02:00 बजे से जनपद बांदा की जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा बैठक कार्यालय – मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार, बाँदा में सम्पन्न हुयी, उक्त बैठक में श्री विवेक कुमार द्विवेदी (महाप्रबन्धक–आयुष), श्री प्रभाकर तिवारी, (वित्तीय परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य), श्री विकास कुँवर (आडिट ऑफिसर), एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ तथा मण्डल स्तर से मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय लेखा प्रबन्धक, जनपद स्तर से ए0सी0एम0ओ0 (आर0सी0एच0), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका पुरूष/महिला, नोडल कार्यक्रम अधिकारी, डी0टी0ओ0, डी0पी0एम0, डी0डी0एम0, एन0एच0एम0 के लेखा लिपिक तथा ब्लॉक स्तर से चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 एवं बी0एम0एम0 आदि उपस्थित रहें। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कमिटेड एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में शून्य व्यय, 25 प्रतिषत से कम व्यय वाले एफ0एम0आर0 कोड की समीक्षा की गयी, जिसकी कार्यवृत्त निम्नलिखित है :–

I. जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला डाटा प्रबन्धक, बांदा को निर्देषित किया गया कि फैम्स के माध्यम से व्यय किये गये कई भुगतान की बुकिंग फैम्स पोर्टल पर लंबित है, जिसे तत्काल बुक कराया जाना सुनिष्चित करें।

II. समीक्षा के दौरान यह पाया कि जनपदों में काफी भुगतान लंबित है, इस हेतु जनपद के सभी चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 एवं बी0एम0एम0 को निर्देषित किया गया

Scanned with ACE Scanner

कि समस्त लंबित भुगतान 31 जुलाई, 2024 तक कमिटेड किये गये धनराषि को शीघ्रअतिशीघ्र पूर्ण कर ले।

iii. जनपद स्तरीय समस्त सलाहकार प्रत्येक सप्ताह अपने कार्यक्रमों के व्यय की समीक्षा फैम्स पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार (आवष्यकतानुसार जिला लेखा प्रबंधक से प्राप्त करते हुये) करना सुनिष्चित करें।

iv. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी–आर0सी0एच0, बांदा को 31 जुलाई, 2024 तक कमिटेड किये गये षेष धनराषि के व्यय वाले मदों की समीक्षा की गयी एवं नियमानुसार शीघ्र भुगतान कराने हेतु निर्देष दिये गयें।

v. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को डैप की हार्ड कॉपी की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके कम में राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा निर्देषित किया गया कि समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारीं, ब्लॉक कार्यकम प्रबन्धक, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं अन्य लेखा लिपिक को वर्ष 2024–25 के डैप का अवलोकन करते हुए शून्य/कम प्रतिषत वाले मदों में व्यय करने हेतु निर्देषित किया गया।

vi. समस्त जनपदीय सलाहकार/समन्वयक/प्रबन्धक को निर्देषित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में अपनी मद की गतिविधियों पर व्यय के बिन्दुओं को तैयार कर समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को साझा करना सुनिष्चित करें।

जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा–जनपद महोबा (दिनांक 26.07.2024)

दिनांकः–26 जुलाई, 2024 को कार्यालय– मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार, महोबा में डा0 आषाराम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोबा की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा सम्पन्न हुयी। बैठक में समस्त कार्यकमों के नोडल अधिकारी, डी0एच0/डी0डब्लू0 के प्रतिनिधि, डी0पी0एम0यू0–टीम, राज्य स्तर से टीम सदस्य एवं मण्डलीय टीम (Div.PM, Div. AM, Div. FPLM & OA) समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद में संचालित सभी कार्यक्रमों की ब्लॉक बार समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत ब्लॉक में कमिटेड एवं वर्तमान वर्ष के जिन मदों में कम व्यय हुआ है अथवा फैम्स पोर्टल पर बुक नही हो पाया है, जिन मदों में अब तक व्यय शून्य है पर जल्द से जल्द कार्य कर पूर्ण करने हेतु निर्देषित किया गया।

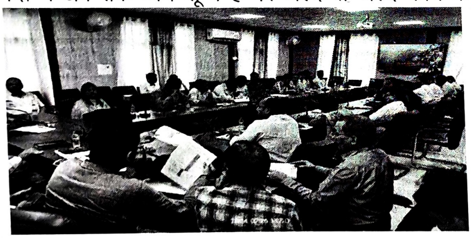
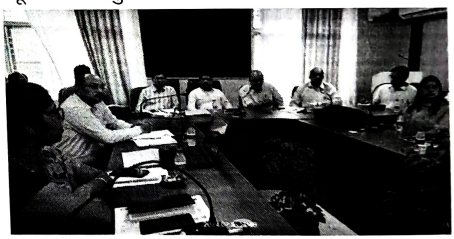

जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा–जनपद हमीरपुर (दिनांक 27.07.2024)

दिनांकः–24 जुलाई, 2024 को कार्यालय – मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार, हमीरपुर में डा0 गीतम सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, हमीरपुर की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में समस्त कार्यकमों के नोडल अधिकारी, डी0एच0/डी0डब्लू0 के प्रतिनिधि, डी0पी0एम0यू0–टीम, राज्य स्तर से टीम सदस्य एवं मण्डलीय टीम (Div.PM, Div. AM, Div. FPLM & OA) समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद में संचालित सभी कार्यक्रमों की ब्लॉक बार समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत ब्लॉक में कमिटेड एवं वर्तमान वर्ष के जिन मदों में कम व्यय हुआ है अथवा फैम्स पोर्टल पर बुक नही हो पाया है, जिन मदों में अब तक व्यय शून्य है पर जल्द से जल्द कार्य कर पूर्ण करने हेतु निर्देषित किया गया।

Scanned with ACE Scanner

समीक्षा बैठक के समापन के उपरांत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देषित किया गया कि अपने–अपने जनपद के व्यय को राज्य से प्राप्त वित्तीय दिषा निर्देष के अनुरूप व्यय करते हुये शीघ्र फैम्स पोर्टल पर बूकिंग कराना सुनिष्चित करें।

राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश एवं भ्रमण रिपोर्ट :–

1. मण्डल के समस्त जनपद में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार भुगतान किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये हैं। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बांदा में 1044, हमीरपुर में 480 चित्रकूट में 320 तथा महोबा में 328 लामार्थियों के भुगतान वर्ष 2023–24 के दौरान एक से अधिक बार हुये है। जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को किये गये भुगतान की गहन जॉच कराकर तत्काल अनियमित भुगतान की गयी धनराशि की रिकवरी कराते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय को प्रेषित करें।
2. एफ0ए0एम0एस0 एवं पी0एम0एफ0एस0 पर व्यय के अन्तर को कम किया जाये।
3. FAMS पर unapproved वाउचर, यदि कोई हो, को approved कर दिया जाये।
4. मानदेय की बुकिंग और आशा प्रोत्साहन और अन्य नियमित खर्चों का भुगतान ससमय किया जाये।
5. UC प्राप्त कर व्यय की बुकिंग तत्काल की जाये।
6. वित्तीय वर्ष 2020–21, 21–22 एवं 22–23 हेतु कांकरेन्ट आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या को किसी भी जनपद द्वारा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है, जोकि जनपद स्तर से की जा रही लापरवाही को परिलक्षित करता है।
7. मण्डल के समस्त जनपद द्वारा सभी बाउचर,बिल को क्रमानुसार नहीं रखा जा रहा है।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि एच०आर० एवं साफ–सफाई का टेंडर नहीं कराया गया है एवं न ही नवीनीकरण कराया गया है। राज्य स्तरीय टीम द्वारा तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है
9. मुख्य चिकित्साधिकारी– समस्त जनपद को 31 जुलाई, 2024 तक कमिटेड किये गये अवशेष धनराशि के व्यय वाले मदों की समीक्षा की गयी एवं नियमानुसार शीघ्र भुगतान कराने हेतु निर्देष दिये गयें।
10. **मंडलीय भ्रमण हेतु उपलब्ध करायी गयी चेक लिस्ट के बिन्दु संख्या 17 (b) के क्रम में जननी सुरक्षा योजना में एक से अधिक बार किये गये भुगतान की स्थिति** :– जनपद बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर में जे0एस0वाई0 लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक से अधिक बार भुगतान करने से रू० **27,00,400.00** के अनियमित भुगतान किया गया है, कतिपय खातों में एक ही वित्तीय वर्ष में 4 बार जे0एस0वाई0 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र०सं०	जनपद का नाम	लाभार्थी की संख्या	धनराशि
1	बाँदा	952	13,16,400.00
2	चित्रकूट	**294**	**4,06,800**
3	महोबा	326	4,33,200.00
4	हमीरपुर	397	5,44,000.00

Scanned with ACE Scanner

	Total	1970	27,00,400.00

Annexure 1 to 4

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत, स्वास्थ्य सेवा केंद्र में प्रत्येक प्रसव के बाद महिलाएं रु 1400 की पात्र हैं। जे0एस0वाई0 में लाभार्थियों को कम समय अन्तराल पर दो बार भुगतान करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. **वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपदवार एक से अधिक बार भुगतान का विस्तृत विवरण निम्नवत है :–**

A). जनपद बाँदा में जे0एस0वाई0 लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 13,16,400.00 के अनियमित भुगतान :– जे0एस0वाई0 लाभार्थी को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 13,16,400.00 के अनियमित भुगतान किया गया है, कतिपय खातों में एक ही वित्तीय वर्ष में 4 बार जे0एस0वाई0 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र०सं०	सी०एच०सी०/पी०एच०सी० का नाम	लाभार्थी की संख्या	धनराशि
1	Phc Tindwari	384	5,29,200
2	Phc Mahuva	100	1,40,000
3	Chc Naraini	190	264000
4	Chc baberu	80	111600
5	Phc Kamasin	71	99400
6	Phc Bisanda	40	54800
7	Phc Badokhar Khurd	6	8400
8	Government Medical College Banda	2	2800
9	District Female Hospital	28	34800
10	Chcatarra Banda	6	8400
11	Chc Jaspura	45	63000
	Total	**952**	**13,16,400**

जनपद बाँदा के PHC TINDWARI द्वारा पी०एफ०एम०एस० संख्या C032421429962 दिनांक 11. 03.2024 के माध्यम से 128 जे०एस०वाई० लाभार्थी को रु० 1,76,800 का भुगतान किया गया था, इन्ही लाभार्थियों को पी०एफ०एम०एस० संख्या C032448686769 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से पुनः भुगतान किया गया है अतः जे०एस०वाई० लाभार्थी को पुनः भुगतान की गयी धनराशि रु० 1,76,800 की जाँच करवाकर अनियमित पाये जाने पर रिकवरी करायी जानी चाहिए।

B). जनपद चित्रकूट में जे0एस0वाई0 लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 4,06,800.00 के अनियमित भुगतान :– जे0एस0वाई0 लाभार्थी को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 4,06,800.00 के अनियमित भुगतान किया गया है, कतिपय खातों में एक ही वित्तीय वर्ष में 3 बार जे0एस0वाई0 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र०सं०	सी०एच०सी०/पी०एच०सी० का नाम	लाभार्थी की संख्या	धनराशि
1	CHC MANIKPUR	159	2,18,600
2	CHC RAMANGAR	59	81,800
3	CHC SHIVRAMPUR	24	33,600
4	CHC MAU	22	30,800
5	DISTRICT COMBINED HOSPITAL KARWI	16	22,400
6	CHCPAHARI	10	14,000
7	200 BEDDED MCH WING	8	11,200

Scanned with ACE Scanner

	Total	**294**	**4,06,800**

- जनपद चित्रकूट के CHC MANIKPUR द्वारा पी०एफ०एम०एस० संख्या C112302851385 दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से 38 जे०एस०वाई० लाभार्थी को रु० 52,400 का भुगतान किया गया था, इन्ही लाभार्थियों को पी०एफ०एम०एस० संख्या C112302851475 दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से पुनः भुगतान किया गया है अतः जे०एस०वाई० लाभार्थी को पुनः भुगतान की गयी धनराशि रु० 52,400 की जाँच करवाकर अनियमित पाये जाने पर रिकवरी करायी जानी चाहिए।
- जनपद चित्रकूट के CHC MANIKPUR द्वारा पी०एफ०एम०एस० संख्या C072325758833 दिनांक 13. 07.2023 के माध्यम से जे०एस०वाई० लाभार्थी Malti को खाता संख्या 50426809313 में रु० 2,400 का भुगतान किया गया।

C). जनपद महोबा में जे0एस0वाई0 लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 4,33,200.00 के अनियमित भुगतान :– जे0एस0वाई0 लाभार्थी को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 4,33,200.00 के अनियमित भुगतान किया गया है, कतिपय खातों में एक ही वित्तीय वर्ष में 4 बार जे0एस0वाई0 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र०सं०	सी०एच०सी०/पी०एच०सी० का नाम	लाभार्थी की संख्या	धनराशि
1	CHC CHARKHARI	216	2,90,400
2	CHC KULPAHAR	56	68,200
3	CHC KABRAI	44	59,600
4	PHC JAITPURA	6	8,400
5	CHC PANWARI	4	5,600
	Total	**326**	**4,33,200**

D). जनपद हमीरपुर में जे0एस0वाई0 लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 5,44,000.00 के अनियमित भुगतान :– जे0एस0वाई0 लाभार्थी को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 5,44,000.00 के अनियमित भुगतान किया गया है, कतिपय खातों में एक ही वित्तीय वर्ष में 4 बार जे0एस0वाई0 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र०सं०	सी०एच०सी०/पी०एच०सी० का नाम	लाभार्थी की संख्या	धनराशि
1	CHC NAURANGA	79	1,10,600
2	PHCSUMERPUR	88	1,18,000
3	CHCRATH	86	1,14,800
4	CHCMAUDHA	65	93,600
5	DWH HAMIRPUR	50	68,000
6	CHCSARILA	21	27,800
7	CHCMUSHKARA	6	8,400
8	PHCGOHAND	2	2,800
	Total	397	5,44,000

11. **मंडलीय भ्रमण हेतु उपलब्ध करायी गयी चेक लिस्ट के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में 10 लाख से अधिक की निविदाओं में कार्यादेश जारी होने से पूर्व सम्प्रेक्षा करायी गयी है या नहीं?** :– मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बाँदा द्वारा अवगत कराया गया कि कंप्यूटर की निविदा का कान्करेंट ऑडिटर से परीक्षण कराये बिना ही कार्यादेश जारी किया गया है, जोकि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष राज्य आडिट कमेटी महोदय के पत्र संख्या

Scanned with ACE Scanner

एस०पी०एम०यू० / एन०एच०एम० / का.आडिट / 2019–20 / 412 / 6111 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना है।

- Desktop Computers with UPS (Bid No- GEM/2023/B/3730231) **की निविदा में तकनीकी रूप से योग्य 3 फर्म की बिड प्रपत्र का परीक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी है** :– उक्त बिड में M/s Rajdeep Electronics & Furniture का चयन किया गया।

(i). एल–1 फर्म M/s Rajdeep Electronics & Furniture द्वारा अपलोड किये गये GeM अनुबंध बिडर या उसके किसी OEM के नाम पर नहीं थे। बिडर द्वारा अपलोड किए गए अनुबंध अलग–अलग फर्मों के थे। एल–1 फर्म अनुभव एवं Past Performance मानदंड को पूरा नहीं किया गया है। अतः फर्म तकनीकी रूप से अयोग्य होने के बाद भी चयनित की गयी थी।

(ii). एल–2 फर्म Kriyansh Info Tech Solutions द्वारा लगाये गये टर्नओवर प्रमाण पत्र को UDIN पोर्टल पर चेक करने पर पाया गया की सी०ए० द्वारा मात्र 21–22 एवं 22–23 के टर्नओवर प्रमाण पत्र को प्रमाणित किया गया था। जबकि अपलोड किये गये टर्नओवर प्रमाणपत्र में तीन वित्तीय वर्ष के टर्न ओवर को प्रमाणित करना दिखाया गया है, अतः प्रथम दृष्टया बिडर द्वारा अपलोड किया गया प्रमाण पत्र गलत है।

(iii). एल–2 फर्म Kriyansh Info Tech Solutions द्वारा वित्तीय वर्ष 22–23 का आई०टी०आर० को अपलोड नहीं किया गया है।

(iv). एल–1 एवं एल–2 फर्म द्वारा अपलोड किये गये माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्रा० लि० के अधिकृत करने के प्रमाण पत्र पर एक ही Reference संख्या इंगित की गयी है, जोकि वास्तविक परिस्थिति में संभव नहीं है। प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर को पेस्ट किया गया है। प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्र फर्जी प्रतीत हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फर्म तकनीकीरूप से अयोग्य होने के बाद भी चयनित की गयी थी। प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन / अध्यक्ष राज्य आडिट कमेटी महोदय के पत्र संख्या एस०पी०एम०यू० / एन०एच०एम० / का.आडिट / 2019–20 / 412 / 6111 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

12. **मंडलीय भ्रमण हेतु उपलब्ध करायी गयी चेक लिस्ट के बिन्दु संख्या 3(2) के क्रम में कितने टेण्डर नवीनीकरण किया गया है** :– मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत किये जाने के लिए बृजलाल ठेकेदार के साथ किये गये अनुबंध को नवीनीकृत किया गया। बृजलाल ठेकेदार के चयन में निम्नलिखित अनियमितताए पायी गयी :–

मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा पत्र संख्या 2015–18 / 17फ / नि०नि०अ० / 2014–15 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त दिशा–निर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नवत है :–

I. **शासनादेश संख्या 1688 / पांच–9–2013–9(12) / 11 दिनांक 07.10.2013 द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से निर्माणकार्यो के सम्पादन हेतु कार्य प्रक्रिया निर्धारित करते हुये कार्यो के आवंटन तथा उत्तर प्रदेश स्थित निर्माण एजेन्सियों की सूची आदि प्रख्यापित की गयी है।**

II. भारत सरकार द्वारा राज्य कार्ययोजना की स्वीकति उपरान्त परियोजना की स्वीकृत लागत की सीलिंग सीमा के अन्तर्गत धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अधिकार राज्य कार्यकारी समिति में निहित है तथा आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में प्राविधानित प्रतिबन्धों के साथ राज्य कार्यकारी समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किये जाने तथा जिला कार्ययोजना (डी0ए0पी0) के अनुमोदन के पश्चात सिविल निर्माण कार्यों की स्थिति में कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति समझा जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति को ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में दिये गये वित्तीय प्रतिनिधायन के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के चयन का पूर्ण अधिकार है।

Scanned with ACE Scanner

III. **कार्यदायी संस्था के चयन के सम्बन्ध में आदेश निर्गत करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत सस्था अनुमानित लागत का निर्माण कार्य करने तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का लिए अधिकृत है। कार्यदायी संस्था के चयन के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर नयी सस्था चयनित न की जाये, ताकि परियोजना की लागत में कास्ट–ओबर–रन्स की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाय।**

IV. **कार्यदायी संस्था के चयन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य कार्यदायी सस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों की लागत सीमा का निर्धारण तथा शासकीय निर्माण कार्य को सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति का पालन सुनिश्चित किया जाये।**

V. **भारत सरकार के द्वारा प्रख्यापित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुएल में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को चयनित किये जाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।**

VI. **यदि लोक निर्माण विभाग सहमत न हो तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशिष्ट समिति के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जाय।** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एन०एच०एम० कार्यो के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु गठित विशिष्ट समिति का विवरण निम्नवत है –

- मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य।
- मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0 –सदस्य सचिव।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय –सदस्य
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एन०एच०एम०) उ0प्र0
- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत –सदस्य
- मण्डलीय सहायक अभियन्ता, चि०स्वा० एवं प० कल्याण –सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त अतिथि सदस्य के रूप में आवश्यकता अनसार किसी विशेषज्ञ को अध्यक्ष महोदय कीसहमति से समिति में आमंत्रित किया जा सकता है।

VII. **ऐसे निर्माण/सुदृढीकरण कार्य जिनकी लागत रू 50.00 लाख तक है, को कराने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा पी0डब्लू0डी0, रूरल इजीनियरिंग सर्विसेज आर०ई०एस०) एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से निविदा/आफर प्राप्त किया जाये, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त की जाये।**

न्यूनतम सेन्टेज चार्जेज पर कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था का नियमानुसार चयन किया जाये।कार्यदायी संस्था का चयन करते समय न्यनतम सेन्टेज चार्जज को ही आधार न माना जाये बल्कि उनकी गुणवत्ता/इतिहास को भी ध्यान में रखा जाये।

VIII. कार्यो के आवंटन हेत उत्तर प्रदेश स्थित निर्माण एजेन्सियों की सूची शासनादेश संख्या वित्त व्यय(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 ई0–8–157/ दस–2013–1074/2012 दिनांक 12.02.2013 के प्रस्तर1–(क) के अनुसार होगी, जिन पर प्राथमिकता पर विचार किया जाय **परन्तु कार्यदायी संस्थाओं केचयन के समय इनकी गुणवत्ता, अनुभव एवं इतिहास को भी संज्ञान में लिया जाय।**

कार्यों के आवंटन हेतु उत्तर प्रदेश स्थित निर्माण एजेन्सियों की वरीयता सूची

श्रेणी	राजकीय निर्माण एजेन्सियों के नाम	मानकीकृत	गैर मानकीकृत
प्रथम श्रेणी	1. लोक निर्माण विभाग 2. उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0। 3. कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाईज सर्विसेज(उ0प्र0 जल निगम)	असीमित	असीमित

Scanned with ACE Scanner

द्वितीय श्रेणी	1. ग्रामीण अभियन्ण सेवा विभाग। 2. उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0। 3. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	रु0 25.00 करोड़ की सीमा तक	रु0 10.00 करोड़ की सीमा तक
तृतीय श्रेणी	1. उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0। 2. उ0प्र0 विधयन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड)	रु0 10.00 करोड़ की सीमा तक	रु0 5.00 करोड़ की सीमा तक

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, महोबा द्वारा निर्माण एर्जेसी के चयन में उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। दिनांक 21.12.2023 को समिति द्वारा गहन विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से 23 उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर बनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्माण इकाई के रूप में चयन किया गया। स्वास्थ्य उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में उच्चीकृत किये जाने में एक अतिरिक्त कक्ष (लैब कार्नर व शौचालय सहित) सेप्टिक टैंक व सोकपिट का कार्य कराया हेतु प्रति एच०डब्लू०सी० हेतु रू0 5.97 लाख लागत में कराया जाना है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा द्वारा उक्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण हेतु टेंडर के माध्यम से चयन न करके स्टेट बजट के अन्तर्गत ई–टेंडर आई०डी० 2022_DGMH_710195_1 के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु चयनित फर्म ब्रजलाल ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया। उक्त टेंडर से सम्बंधित प्रपत्र को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ई–टेंडर की वेबसाईट पर अपलोड किये गये तकनीकी एवं वित्तीय मिनट्स का परीक्षण करने पर संज्ञान में आया की दो फर्म तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी थी। ई–टेंडर की वेबसाईट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय बिड डाली गयी थी :–

BOQ Summary Details
Tender Title: CIVIL WORK
Tender ID: 2022_DGMH_710195_1

Sheet Name	Sl.No	Bidder Name	Amount	Bid Rank
BoQ1	1	BRAJLAL THEKEDAR	1.00	L1
	2	SHARDA INFRASTRUCTURE	198000.00	L2

उपरोक्त विवरण के अनुसार ब्रजलाल ठेकेदार द्वारा सिविल कार्य हेतु कुल धनराशि रु० 1 कोट की गयी थी, जोकि उचित प्रतीत नहीं हो रही है। किसी फर्म द्वारा रु० 1 कोट किये जाने पर उस फर्म को करोंड़ों रुपए की धनराशि का कार्य आबंटित किया जाना वित्तीय अनियमितता है।

निष्कर्ष :– जनपद बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर में जे0एस0वाई0 लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० **27,00,400.00** के भुगतान किया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बाँदा द्वारा अवगत कराया गया कि कंप्यूटर की निविदा का कान्करेंट ऑडिटर से परीक्षण कराये बिना ही कार्यादेश जारी किया गया है, जोकि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष राज्य आडिट कमेटी महोदय के पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/का. आडिट/2019–20 /412/6111 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना है। मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत किये जाने के लिए बृजलाल ठेकेदार के साथ किये गये अनुबंध को नवीनीकृत किया गयझं ब्रजलाल ठेकेदार द्वारा सिविल कार्य हेतु कुल धनराशि रु० 1 कोट की गयी थी, जोकि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। किसी फर्म द्वारा रु० 1 कोट किये जाने पर उस फर्म को करोंड़ों रुपए की धनराशि का कार्य आबंटित किया जाना वित्तीय अनियमितता है।

Scanned with ACE Scanner

- **जनपद बाँदा द्वारा अवगत कराया गया है कि कमिटेड हेतु अधिक धनराशि कमिट करा ली गयी थी जोकि व्यय किया जाना संभव नहीं है जिसको सरेंडर किया जाना है, विवरण निम्नवत है :–**

S. No.	FMR	Description	Program Sub Division	Budget	Expenditure	diff	% of expenditure
1	150.5	Capacity building & Multiskilling for AAM - SHC	CP	4,281,047.000	143,472.000	4,137,575.000	3.35
2	150.6	Capacity building & Multiskilling for AAM - PHC	CP	2,475,000.000		2,475,000.000	0.00
3	63.7	Mobility for District vechile hring & TA/DA & for Divisional Districts-vechile hring, TA/DA & MICS. EXP. (16.1.3.3.8)	CD-IDSP	90,000.000		90,000.000	0.00
4	54.4	NRC OPERATIONAL COST	CH	30,000.000	10,846.000	19,154.000	36.15
5	159.11	ASHA Induction training	CP	18,000.000		18,000.000	0.00
6	21.13	Training of Mobile health team – technical and managerial (5 days)	RBSK	3,900.000		3,900.000	0.00
7	175.12	State Quality Assurance Units /Div,QAU and DQAU, Monitoring & Supervision) (16.1.2.2.3)	QA	98,295.000	94,785.000	3,510.000	96.43
8	194.37	BPMU Opretional Cost	HR	25,000.000	21,560.000	3,440.000	86.24
9	152.1	Teleconsultation facilities at AAMs - Rural	CP	2,478.000		2,478.000	0.00
10	63.8	IDSP TOTAL OPERATIONAL EXP(DISTRICT DIVISIONAL & IHIP)(16.1.4.1.5	CD-IDSP	32,224.000	30,599.000	1,625.000	94.96
11	19.6	IEC-Wall Wrinting for PC-PNDT for District	FP	39,000.000	37,514.000	1,486.000	96.19
12	194.47	Field Visit (Supportive supervision at District / Division level) (16.1.3.3.3.S01)	ME	29,424.000	28,254.000	1,170.000	96.02
13	194.34	DPMU Oprational Cost	HR	166,507.000	165,819.000	688.000	99.59
14	195.19	Block Level Training cum Review meeting (9.2.2.7.3) For Committed only	MIS	19,000.000	18,620.000	380.000	98.00
15	42.16	Sterilization - Female (Others including operating costs(OOC)(1.1.3.1.1)	FP	17,500.000	17,158.000	342.000	98.05
16	32.9	Alternative Vaccine Delivery in other areas * 14.2.5	RI	22,950.000	22,720.000	230.000	99.00
17	58.2	ONE DAY ORIENTATION MEETING FOR IDCF	CH	10,000.000	9,785.000	215.000	97.85
18	32.13	Funds for annual maintenance operation of WIC/WIF at state and division level. @ Rs. 40000/- per WIC/WIF	RI	10,620.000	10,408.000	212.000	98.00
19	19.4	Creating awareness in declining sex ratio-Girl Child Day at Block, District, Division level (11.1.6.2)	FP	1,736.000	1,701.000	35.000	97.98
				7,372,681.000	613,241.000	6,759,440.000	

श्री विकास कुँवर
(ऑफिसर आडिट)

श्री प्रभाकर तिवारी,
परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य

श्री विवेक कुमार द्विवेदी,
महाप्रबंधक आयुष

Scanned with ACE Scanner